देश के लिए.....अव्यवस्था के खिलाफ......

जवाब दो!!!सरकार...

www.jawabdosarkar.com

रेफरेंस संख्या –2020/MMP/06 | E-Newsletter, Issued in Public Interest | मंगलवार, 21 जनवरी 2020

राजस्थान पत्रिका

घुटती सांसें, मरते शहरों को संजीवनी

पत्रिका समूह के प्रधान सम्पादक गुलाब कोठारी की जनहित याचिका पर ऐतिहासिक फैसला...

मास्टर प्लान ही मास्टर गाइडलाइन : हाईकोर्ट

जयपुर और जोधपुर समेत राजस्थान के 6 प्रमुख शहरों के मास्टर प्लान में बदलाव नहीं

कोर्ट का यह फैसला देश-प्रदेश के सुनियोजित विकास की दिशा करेगा तय

बढ़ रही परेशानियां...

कॉलोनियों में भूखंडों को जोड़ नहीं बन सकेंगी इमारतें

मास्टर प्लान में दर्शाना होगा, कहां बनेंगी बहुमंजिला इमारतें

यूं हो रहा नुकसान

नगर निगम जयपुर के सिविल लाईन ज़ोन में भूखंड संख्या 5,ग्रीन एवेन्यू कॉलोनी,सगत सिंह मोड़,खातीपुरा में स्थित आवासीय भूखंड पर किसकी अनुमति से बन रहा है विशालकाय अवैध व्यवसायिक कोम्प्लेक्स?

भूखंड संख्या 5,ग्रीन एवेन्यू कॉलोनी,सगत सिंह मोड़,खातीपुरा स्थित आवासीय भूखंड पर पहले अवैध बेसमेंट खोदा गया और जिसपर स्थानीय पुलिस और नगर निगम के अधिकारीयों की सांठ गाँठ से रातोंरात छत डाल दी गयी|

पता:-S1,झारखंड अपार्टमेंट,सगत सिंह मोड,जनरल सगत सिंह मार्ग,वैशालीनगर,302012 मोबाइल:-9828346151

शिकायत की प्रथम रिपोर्ट

1.	भूखंडो का पता	आवासीय भूखंड संख्या 5,ग्रीन एवेन्यू कॉलोनी,सगत सिंह मोड़,खातीपुरा
2.	वर्तमान स्थिति	व्यवसायिक काम्प्लेक्स का बेसमेंट खोदा जाकर,छत डाली गयी
6.	उल्लंघन की प्रकति	बिना अनुमति ,बिना स्वीकृत मानचित्र अनुमोदित करवाए , बिना सेटबैक छोड़े,बिना पार्किंग फेसेलिटी के अवैध व्यवसायिक काम्प्लेक्स का निर्माण
7.	सम्बंधित ज़ोन	नगर निगम सिविल लाईन ज़ोन
8.	कार्यवाही हेतु सक्षम अधिकारी	ज़ोन उपायुक्त श्री आर.के.मेहता , पुलिस निरीक्षक(सतर्कता) श्री राकेश यादव
9.	सक्षम अधिकारी को शिकायत प्रेक्षण दिनांक	21/01/2020

जवाब मांगते सवाल?

1. क्या भूखंड मालिक द्वारा विधिक रूप से व्यवसायिक उपयोग हेतु भू-उपयोग परिवर्तन करवा लिया गया है?
2. क्या भूखंड मालिक द्वारा निगम से व्यवसायिक काम्प्लेक्स हेतु मानचित्र अनुमोदित करवा कर निर्माण करवाया गया है?
3. क्या भूखंड मालिक द्वारा भवन विनियमों के अनुसार सैटबैक मापदंडों का पालन किया गया है?
4. क्या भूखंड मालिक द्वारा भूखंड की एक मुश्त/वार्षिक लीज मनी जमा करवा दी गयी है?
5. क्या भूखंड मालिक द्वारा भूखंड का यू.डी. टेक्स जमा करवा दिया गया है?
6. इन बिल्डिंग के अवैध होने की स्थिति में निगम को व्यवसायिक रूपांतरण शुल्क,यू.डी. टेक्स,लीज मनी व अन्य शुल्कों के रूप में होने वाली राजस्व आय के नुकसान का जिम्मेदार कौन है?
7. किस ज़ोन उपायुक्त के कार्यकाल में इस बिल्डिंग का निर्माण हुआ था ?
8. यदि भवन विनियमों के उल्लंघन के अनुसार यह बिल्डिंग अवैध है तो क्या यह माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा सिविल रिट पिटीशन 1554/2004 गुलाब कोठारी बनाम राजस्थान मामले में दिए गए आदेशों की अवमानना नहीं है?